



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

“ShikshaSadan”, 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./सं.स.एवं प्र.(शै.एवं प्र.)/2015

परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-69/2015

दिनांक: 20 अक्टूबर, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: विद्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 का आयोजन

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, देश की अखंडता का सर्वोच्च संस्थान, जन जीवन में पारदर्शिता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा की वृद्धि के प्रयास तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने हेतु प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन को घोषित करता है। इस वर्ष 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजन का विषय निवारक सतर्कता अच्छे शासन का एक माध्यम है।

भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो हमारे समाज में विस्तृत रूप से फैली है। इसका देश के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, देश की संपन्नता और नागरिक के अच्छे जीवन स्तर के लिए इसे हटा दिया जाना चाहिए। कार्य करने के विविध स्तरों पर निवारात्मक जागरूकता के उपाय दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता व भ्रष्टाचार में कमी में सहायक होते हैं।

अतः बोर्ड अपेक्षा करता है कि विद्यालय सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान उपरोक्त विषयों को दर्शाते हुए विविध गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। कुछ गतिविधियां हैं:

कक्षा VI से VIII तक के लिए:

- ‘निवारक सतर्कता’ पर नारा लिखना
- पारदर्शिता भ्रष्टाचार का एक प्रतिकारक है, विषय पर पोस्टर निर्माण

कक्षा IX व X के लिए:

- अच्छे शासन के लिए नागरिकों के अधिकार पर भाषण
- भ्रष्टाचार निवारण पर जनता की प्रतिभागिता पर नुक्कड़ नाटक

कक्षा XI-XII के लिए:

- न्यायसंगत प्रणाली के लिए निवारक सतर्कता पर वादविवाद
- सूचना का अधिकार व अधिनियम एक भ्रष्टाचार प्रतिरोधक, पर निबन्ध लिखना

विविध स्तरों पर भ्रष्टाचार को कम करने में निरोधात्मक सतर्कता की भूमिका और विविध स्तरों पर उत्तरदायित्व में वृद्धि करने तथा शासन व्यवस्था को और अधिक दक्ष बनाकर तय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपरोक्त गतिविधियां विद्यालय में आयोजित की जा सकती हैं।

गतिविधियों की रिपोर्ट, 200 शब्दों की प्रतिपुष्टि, 1 फोटोग्राफ सहित, दिनांक 26/10/2015 से 2/11/2015 तक के.मा.शि.बो. की शैक्षणिक वेबसाइट www.cbseacademic.in पर प्रदान की गई लिंक पर अपलोड कर सकते हैं।

सादर



डी.टी. सुदर्शन राव

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, बोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)